



**OFFICE OF THE JET COORDINATOR**  
**JET, Pre-PG & Ph.D. ENTRANCE EXAMINATIONS-2024**  
AGRICULTURE UNIVERSITY JODHPUR-342304, RAJASTHAN  
Mob: 8441882023, Email: jetaujodhpur2024@gmail.com



No2024 ( ) /AUJ/Exam./JET/Pre-PG/Ph.D./2024/261

Date: 14-10-2024

**महत्वपूर्ण अधिसूचना**

जेट/प्रीपीजी/पीएचडी प्रवेश परीक्षा-2024 से सम्बन्धित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि जिन अभ्यर्थियों ने मुख्य एवं अंतिम ऑनलाइन काउंसलिंग की रिपोर्टिंग के माध्यम से राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालयों के अधीनस्थ महाविद्यालयों एवं सम्बद्ध निजी कृषि महाविद्यालयों/संस्थानों एवं निजी कृषि विश्वविद्यालयों (राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त) में जेट/प्रीपीजी/पीएचडी प्रवेश परीक्षा-2024 के माध्यम से प्रवेश लिया है, यदि वे अपनी प्रवेशित सीट छोड़ कर **अंतिम (स्पॉट) ऑनलाइन काउंसलिंग** में भाग लेना चाहते हैं, तो उनके लिए सीट छोड़ने की **अंतिम दिनांक 16 अक्टूबर 2024 (दोपहर 02:00 बजे तक)** है। आवंटित सीट छोड़ने हेतु अभ्यर्थी को सम्बन्धित महाविद्यालय के अधिष्ठाता/प्रिंसिपल/नोडल अधिकारी को प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र पर इसके लिए अनुरोध प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद, अभ्यर्थी के आवेदन के आधार पर संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता/प्रिंसिपल/नोडल अधिकारी द्वारा इसकी सूचना अपने कार्यालय पत्र द्वारा **दिनांक 16 अक्टूबर 2024 (शाम 04:00 बजे)** तक जेट कार्यालय को ई-मेल के माध्यम से आवश्यक रूप से भेजनी होगी।


जो अभ्यर्थी **दिनांक 16 अक्टूबर 2024 (दोपहर 02:00 बजे तक)** तक अपनी सीट छोड़ देते हैं, वे पुनः विकल्प फॉर्म का शुल्क 5000/- रूपए जमा करके **अंतिम (स्पॉट) ऑनलाइन काउंसलिंग** के लिए पात्र होंगे। अभ्यर्थियों द्वारा छोड़ी गई सीटों को अंतिम (स्पॉट) ऑनलाइन काउंसलिंग की सीट मैट्रिक्स में जोड़कर दर्शाई जाएगी।


**निर्धारित समय सीमा के पश्चात् छोड़ी गई सीटों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा अर्थात् न तो उन सीटों को अंतिम (स्पॉट) ऑनलाइन काउंसलिंग की सीट मैट्रिक्स में जोड़ा जाएगा और न ही ऐसे अभ्यर्थियों को अंतिम (स्पॉट) ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु पात्र माना जाएगा।**

**नोट:** अभ्यर्थी अपनी प्रवेशित सीट को छोड़ने से पूर्व यह भलीभांति समझ लें कि सीट छोड़ने के पश्चात् वर्तमान सीट पर उनकी दावेदारी समाप्त हो जाएगी एवं अंतिम (स्पॉट) ऑनलाइन काउंसलिंग में अभ्यर्थी को सीट का आवंटन होना या नहीं होना उसकी वरीयता एवं उसके द्वारा ऑप्शन में भरे गए महाविद्यालयों के विकल्पों पर निर्भर रहेगा।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर
2. श्रीमान् कुलसचिव, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर
3. श्रीमान् प्रमुख सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
4. श्रीमान् शासन उपसचिव, कृषि (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
5. सभी अधिष्ठाता/निदेशक/प्राचार्य/नोडल ऑफिसर, राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालयों के अधीनस्थ एवं सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान एवं राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त निजी विश्वविद्यालय (केवल कृषि विषय से सम्बन्धित)
6. सभी महाविद्यालयों के सूचना पट्ट हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

  
**JET COORDINATOR**  
JET/Pre-PG/Ph.D. Entrance Examinations-2024  
AGRICULTURE UNIVERSITY, JODHPUR

  
**JET COORDINATOR**  
JET/Pre-PG/Ph.D. Entrance Examinations-2024  
AGRICULTURE UNIVERSITY, JODHPUR

## जेट-2024 के तहत प्रवेशित सीट छोड़ने हेतु शपथ पत्र का प्रारूप



(50/- रुपये के भारतीय गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर मुद्रित होने पर ही मान्य होगा)

मैं ..... पुत्र/पुत्री श्री .....  
निवासी ..... यह शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि

1. मेरे जेट/प्री-पीजी/पीएचडी प्रवेश परीक्षा-2024 का एप्लीकेशन नम्बर ..... और रोल नम्बर ..... है।
2. मैंने जेट/प्री-पीजी/पीएचडी प्रवेश परीक्षा-2024 के तहत आयोजित ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लिया एवं जिसके तहत मुझे ..... महाविद्यालय के ..... विषय में प्रवेश हेतु आवंटन हुआ एवं मैंने उक्त महाविद्यालय में दिनांक ..... की रिपोर्टिंग के तहत दस्तावेजों का सत्यापन करवाकर प्रवेश ले लिया था।
3. मैं व्यक्तिगत कारणों से उक्त महाविद्यालय से अपना प्रवेश निरस्त करवाना चाहता हूँ। मेरे सीट छोड़ने के पश्चात् मेरी आवंटित सीट को रिक्त माना जाएगा और किसी अन्य विद्यार्थी को मेरी सीट पर प्रवेश दिया जाएगा, जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
4. साथ ही मैं भविष्य में उक्त आवंटित सीट पर कोई दावेदारी/मांग नहीं करूंगा।
5. उपरोक्त कथन पूर्णतः सत्य है एवं इसमें कोई भी बात ना तो असत्य है और ना ही छिपायी गई है।

शपथ ग्रहिता

### सत्यापन

मैं शपथग्रहिता अपने उपरोक्त शपथ पत्र में बयानित सभी जानकारी व तथ्य सत्य एवं सही है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत या मिथ्या पाई जाती है और मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही होती है तो उसके लिए मैं बयानकर्ता स्वयं जिम्मेवार रहूंगा।

शपथ ग्रहिता